



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Email Id-academicprsu3@gmail.com Phone No. 0771-2262540

क्रमांक / 12/2 / अका. / एफ-155 / सम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 15 / 09 / 2025

// आदेश //


विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.08.2025 के अनुमोदनानुसार, अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/संकाय/विषय के लिये सत्र 2025-26 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/संकाय/विषय	सीट संख्या	सत्र
1.	'बी.एस-सी. (कम्प्यूटर, गणित, भौतिकी) द्वितीय वर्ष	30	2025-26

शर्त :-


1. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 342/102/आउशि/अ.शै.प्र./2024-25 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/02/2025 के द्वारा पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
5. इण्डोमेंट फण्ड की शेष राशि का भुगतान सत्रांत तक कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
6. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
9. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में उच्च स्तरीय पुस्तकों को क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
11. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।  
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

  
उप कुलसचिव (अका.)

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक/प्राचार्य, अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
4. उप-कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

  
Deputy Director (Acad.)  
Pt. Ravishanker Shukla University  
Raipur (C.G.) 492010

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।  
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

T. 1  
M. K. K.  
16/6/25

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 1047/अ.सं./सं. /2025 रायपुर, दिनांक 03/6/2025


निरीक्षण की तिथि : 14/06/2025

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B. Se. II yr.	Computer Maths. Physics	30	2025-26	प्रवेशार्थ में 05 विद्यार्थी हैं।

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पंजीकृत है।
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	S-2 क्षेत्र. गहा. है 16 km इरी पर है।
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	71 लाख
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	12/04/2028
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं का भवन, भूमि की सं-पर है।
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	पर्याप्त है।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	कक्षा उपलब्ध है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	अवैशिश्ट का 7 के अनुपात में उपलब्ध है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	महेश्वर नियुक्त है। पी. निरुपम-28 में कम्प्यूटर, गणित कोर्स में शिक्षक नियुक्त किया गया है।

16/06/25




Signature

Signature

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	शोधपत्र नियमित नहीं है। पुस्तकें खरीदने के लिए अलब्ध है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	भाषासूत सुविधायें अलब्ध है।
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?		परिनिश्चय - 28 में शिक्षकों की निम्नलिखित करी. हो पाई है।
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		—
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		① द्वितीय वर्ष के दो तीनों विषयों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। ② द्वितीय वर्ष के प्रयोग के कौशल के उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। ③ लायसेंस साफ़ वेयर/पाठ के संबंधित उपलब्ध नहीं हैं।



④ परिनिश्चय 28 में शिक्षकों की निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं।

निरीक्षण समिति के  
संयोजक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

  
(D.P. Bisht)


दिनांक 14/06/2025

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1.  (Dr. B.S. Thakur)
2. 14/6/25
3. 
4. 14.6.25 (Dr. V.K. Patil)

प्रति,

कुलसचिव  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर (छ.ग.)



  
14/6/25